प्रपत्र–43

परियोजना का नाम	:–	जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली–किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से भितरली–किमाडी मोटर मार्ग ,मोटर मार्ग (10.400 कि0 मी0), के नव निर्माण हेतु अर्जित भूमि जिसका क्षेत्रफल **3.528** है0 है के हस्तान्तरण मामले में दुगने क्षेत्रफल **7.056** है0 अनवरत सिविल एवं सोयम भूमि मौजा **खारसी** में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त है।

(राजस्व उपनिरीक्षक)
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र...

(तहसीलदार)
तहसीलदार (सदर)
देहरादून

(उपजिलाधिकारी)
परगना मजिस्ट्रेट (सदर)
देहरादून

(जिलाधिकारी)
District Magistrate
Dehradun

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

रेंज अधिकारी
रिखनाड रेंज
चकराता वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता देहरादून

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

वन क्षेत्राधिकारी

परियोजना का नाम	:–	जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली–किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम हेतु दुगुनी अर्जित सिविल एवं सोयम भूमि का विवरण

क्रम सं0	जिला	परगना	पट्टी	तहसील	मौजा	खाता संख्या	भूमि का विवरण			अन्य विवरण
							खसरा न0	कुल रकबा है0	अर्जित रकबा है0	
1	देहरादून	जौनसार बावर		चकराता	खारसी	000193	2336	61.00	7.056	
							योग	61.00	7.056	

वृक्षारोपण हेतु दुगुनी अर्जित सिविल एवं सोयम वन भूमि **7.056** है0।

कनिष्ट अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
सिंचाई खण्ड
देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
सिंचाई खण्ड
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
सिंचाई खण्ड
देहरादून

राजस्व उप निरीक्षक

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

तहसीलदार
तहसीलदार (सदर)
देहरादून

उपजिलाधिकारी
9/4/16
परगना मजिस्ट्रेट (सदर)
देहरादून

जिलाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून, मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

श्रीमान तहसीलदार कालसी/चकराता

विषय:- पुरुकुल भितरली किमाडी मोटर मार्ग के निर्माण में गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में

महोदय,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता पी० एम० जी० एस० वाई० सिंचाई खण्ड देहरादून के पत्र सं 747/पी०एम०जी०एस०वाई/सिं०ख०-दे०दून/जनरल दिनाँक 10/06/2015 पर आपके पृष्ठांकित आदेश दिनाँक 23/06/2015 के अनुपालन में अवगत कराना है कि पुरुकुल भितरली किमाडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 3.528 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि 7.1 है० बंजर भूमि ग्राम खारसी तहसील चकराता जिला-देहरादून की खाता-खतौनी क्रमांक 192 खसरा नं० 2336 कुल रकवा 61.000 है० में से 7.1 है० भूमि उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित की जाती है।

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु जाँच आख्या रिपोर्ट संस्तुति सहित सेवामें प्रेषित है।

21-9-15
राजस्व उप निरीक्षक
बौंखा
चकराता

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिंचाई खण्ड, देहरादून

94-C

(8)

प्रेषक,

तहसीलदार,
चकराता।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी,(प्र0)
देहरादून।

द्वारा:— उप जिलाधिकारी, चकरात।

संख्या:—1420/एस0टी0/2015 दिनांक चकराता सितम्बर, 21 2015

विषय:— इस खण्ड द्वारा प्रस्तावित ग्राम पुरूकुल भितरली किमाड़ी मोटर मार्ग के नवनिर्माण में आ रही वन भूमि के प्रतिकर स्वरूप वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि 7.1 हेक्टेयर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई, सिचाई खण्ड के पत्र संख्या 747/पी0एम0जी0एस0वाई/सिं0ख0—दे0दून/जनरल दिनांक 10.06.2015 पर आपके पृष्ठांकन आदेश के अनुपाल में पुरूकुल भितरली किमाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 3.528 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि 7.1 है0 बंजर भूमि को चयनित हेतु राजस्व उप निरीक्षक बरौथा तहसील चकराता को निर्देश दिये गये।

राजस्व उप निरीक्षक बरौथा द्वारा अपनी आख्या दिनांक 21.09.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि पुरूकुल भितरली किमाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 3.528 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि 7.1 है0 बंजर भूमि ग्राम खारसी तहसील चकराता की खाता खतौनी क्रमांक 192 खसरा नं0 2336 कुल रकवा 61.000 है0 में से 7.1 है0 भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु प्रस्तावित कर आख्या प्रस्तुत की गयी है।

765
23/9/15
DLRC
2
1.X.15
ADM(E)

अतः राजस्व उप निरीक्षक बरौथा की आख्या संलग्न कर सेवा में सादर प्रेषित।

भवदीय,

21/9/15
(डी0के0 वर्मा)
तहसीलदार,चकराता।

ADM (A) महोदय को
सादर अग्रेषित
24/9/15
SDM

photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
पी0एम0 ... वाई0
सिंचाई खण्ड, देहरादून

ग्राम क्रमांक : 01030100046 ग्राम का नाम : खारसी परगना : जौनसार बावर (शासकीय कार्य हेतु)

तहसील : चकराता जनपद : देहरादून फसली वर्ष : 1420-1425 भाग : 1 USU/8/10/2015

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति/ संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश, उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
					2294	0.0240			
					2295	0.2650			
					2297	0.2000			
					2299	0.0080			
					2301	0.0120			
					2306	0.1130			
					2311	0.0080			
					2313	0.0200			
					2315	0.0530			
					2317	0.0320			
					2321	0.0120			
					2322	0.0490			
					2326	0.0160			
					2327	0.0280			
					2330	0.2250			
					2331	0.0240			
					2333	0.0200			
					2336	61.0000			
					2337	0.0040			
					2338	0.0930			
					2339	0.0160			
					2340	0.0240			
					2341	0.0240			
					2342	0.0200			
					2344	0.0320			
					2346	0.0160			
					2349	0.0160			
					2358	0.0120			
					2359	0.0160			
					2366	0.3070			
					2368	0.0040			
					2370	0.0440			
					2373	0.0240			
					2376	0.0040			
					2378	0.0080			
					2380	0.2350			
					2381/4038	0.2710			

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिंचाई खण्ड, देहरादून

94-I

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून

संख्या– 1141 / 12ए–143 (2014–17) / डी0एल0आर0सी0 / 2015 दिनांक 18 जनवरी, 2016

विषय– जनपद देहरादून में पुरूकुल भितरली किमाड़ी मोटर मार्ग के नवनिर्माण में आ रही 3.528 है0 वन भूमि के प्रतिकर स्वरूप दोगुनी सिविल सोयम / बंजर भूमि 7.1 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरण किये किये जाने के सम्बन्ध में।

उपजिलाधिकारी, चकराता
जनपद–देहरादून।

उपरोक्त उल्लिखित प्रकरण पर आपकी आख्या दिनांक 24 सितम्बर, 2015 अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त हुयी है, जनपद देहरादून में पुरूकुल भितरली किमाड़ी मोटर मार्ग के नवनिर्माण में आ रही 3.528 है0 वन भूमि के प्रतिकर स्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम खारसी, परगना–जौनसार बावर, तहसील–चकराता के खाता संख्या 000193 के खसरा न0 2336 रकबा 61.00 में से 7.1 है0 भूमि, अंतर्गत श्रेणी 5(3)ड0–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

आप के द्वारा प्रेषित उपरोक्त प्रस्ताव को जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित पत्रावली मे दिनाक 15.01.2016 को अनुमोदित कर दिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 15.01.2016 के कम में नियमानुसार ग्राम खारसी, परगना–जौनसार बावर, तहसील–चकराता के खाता संख्या 000193 के खसरा नं0 2336 रकबा 61.00 में से 7.1 है0 भूमि, अंतर्गत श्रेणी 5(3)ड0–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम अभिलेखों में दर्ज करते हुये, कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(प्रताप सिंह शाह)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
देहरादून

प्रतिलिपि –

अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून को उपरोक्त वर्णित प्रकरण पर उनके पत्र संख्या– 747 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सि0ख0–दे0दून / जनरल दिनांक 10 जून, 2015 के कम मे सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
देहरादून

कार्यालय जिलाधीश देहरादून COLLECTOR DEHRA DUN

photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
पी॰ एम॰ जी॰ एस॰ वाई॰
सिंचाई खण्ड, देहरादून